न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –110/2016 जिला दौसा

1. मिश्रा पुत्र बुद्धा उर्फ बुदिया , जाति चमार, निवासी ग्रम खटवा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. काली पुत्री गैंदा उर्फ गेंदीया पत्नि पप्पू लाल, जाति चमार, निवासी खटवा , तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल निवासी ग्रम डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
3. तहसीलदार लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.10.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री पं. राम बाबू शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सुशील कुमार मिश्रा

निर्णय

दिनांक 23.1.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.10.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम खटवा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 221 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार नानगा था जिसके फौत होने पर भूमि उसके पुत्र गैंदा व बुद्धा के नाम आई ओर बुद्धा पुत्र नानगा के फौत होने पर 1/2 हिस्से की भूमि मिश्रा पुत्र बुद्धा के नाम आई ओर गेंदा के फौत होने पर 1/2 हिस्से की भूमि नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.90 से शम्भू पुत्र गैंदा के नाम आई । शम्भू पुत्र गैंदा 1/2 एवं मिश्रा पुत्र बुद्धा 1/2 हिस्से के खातेदार अभिलिखित हुये जिनमें से शम्भू पुत्र बुद्धा के अविवाहित फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31 5. 93 को तहसीलदार लालसोट द्वारा शम्भू के भाई बुद्धा के पुत्र मिश्रा अपीलान्ट के नाम तस्दीक कर दिया । तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.93 के खिलाफ मृतक खातेदार शम्भू पुत्र गेंदा की बहिन रेस्पोंडेन्ट काली पुत्र गेंदा द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 18.5.2012 को करीबन 19 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.10.2016 द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक के वारिसान के संबंध में जॉच कर नामांतरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था , इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुये अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.1993 एवं नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.1990 वाके ग्रम खटवा तहसील लालसोट निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वैद्य वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुये विवादित भूमि के संबंध के नामांतरकरण के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करें । अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 21.10.2016 के खिलाफ विवादित भूमि के खातेदार शम्भू के भाई बुद्धा के पुत्र मिश्रा द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 21.10.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा लिखत बहस भी प्रस्तुत की गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं लिखित बहस में मुख्य रूप से उल्लेखित किया कि रेस्पोंडेन्ट काली पुत्री गेंद्या ने गैन्द्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.90 के खिलाफ एक अपील उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की थी एवं शम्भू पुत्र गेंन्द्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.93 के खिलाफ अति. कलक्टर दौसा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । दोनों अपीलें एक ही विषयवस्तु , एक ही पक्षकारान के बीच लम्बित होने के कारण अति. कलक्टर दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 55 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया जिस पर अति. कलक्टर ने ग्रम पंचायत खटवा द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.90 को उप खण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय से तलब कर नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.93 के साथ समेकित कर दिया ओर दोनों अपीलों पर एक साथ विचारण शुरू किया । गैन्द्या के एक पुत्र शम्भू तथा एक पुत्री रेस्पोंडेन्ट काली थी । गैन्द्या की मृत्यु पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.90 ग्रम पंचायत द्वारा शम्भू पुत्र गैंन्द्या के नाम तस्दीक कर दिया । शम्भू पुत्र गैंन्द्या के कोई जायन्दा पुत्र या पुत्री नहीं होने से शम्भू ने अपने जीवनकाल में मिश्रा को परम्परागत रूप से आम समाज व रिश्तेदारों के बीच गोद पुत्र स्वीकार कर अपने पास रख लिया था । गैन्द्या की पगडी उसके पुत्र शम्भू के बंधी ओर शम्भू की पगडी मिश्रा के बंधी थी ओर मिश्रा ने शम्भू के जीवनकाल में ही अपने बाबा गैन्द्या का नुक्ता किया था । शम्भू का नुक्ता नेवला, पगडी दस्तूर, क्रियाकर्म आदि काम मिश्रा के द्वारा ही किया था । गैंन्द्या ओर झूंमा का नुक्ता भी मिश्रा ने ही किया था एवं काली का विवाह खुद की लागत लगाकर किया था तथा शादी के बाद उसके जामने भात, लाग लागत समय समय पर अपीलान्ट ही करता है । अपीलान्ट मिश्रा गैन्द्या की भूमि पर उसके जीवनकाल से ही काबिज काश्त है । रेस्पोंडेन्ट काली द्वारा दोनों प्रश्नगत नामांतरकरणों को करीबन 21–22 वर्ष पश्चात् चुनौती दी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अपील के गुणावगुण पर सुनवाई करने से पहले प्रार्थना पत्र दफा 5 पर निर्णय करना चाहिये था । प्रारम्भिक आपत्ति भी की थी कि अपील 21–22 साल बाद पेश की थी जो सरासर मियाद बाहर थी । आदेश 45 नियम 3 (ए) जा.दी. के अनुसार मियाद बाहर अपील के गुणावगुण पर बहस सुने जाने से पूर्व सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय किया जावेगा । जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा मियाद का बिन्दू तय नहीं किया जाता तब तक वह अपील एक प्रपोज अपील होती है ओर अपील में अंतिम बहस नहीं सुनी जाती है । भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 की धारा 3 में वर्णित किया है कि सक्षम न्यायालय का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले मियाद का ही बिन्दू तय करें । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में व्यवस्था दी है कि यदि कोई भी अपील समयावधि के बाहर पेश की जाती है ओर विपक्षी के द्वारा यदि मियाद का प्रश्न उठाया भी नहीं जाता है तो सर्वप्रथम न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह धारा 3 के अनुसार मियाद का प्रश्न विनिश्चित करें । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलम्ब का कारण भी दिनांक 26.4.2012 को वह अपनी खेती सम्भालने ग्रम खटवा में गई थी , अंकित किया है, जो सरासर असत्य है । दिनांक 26.4.12 को काली देवी कभी भी ग्रम खटवा नहीं आई ना ही मिश्रा से उसकी कोई बातचीत हुई । विलम्ब का कारण मिथ्या है । गैंन्द्या की मृत्यु के बाद काली ग्रम खटवा गई है , पंच पटेलों के समक्ष अपने भाई शम्भू व अपीलान्ट मिश्रा के हक में पारिवारिक समझौता कर हक त्याग भी किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के बिन्दू को तय किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डी.एन. जे. 2009 एस.सी. पेज 141, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 421, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1299 एवं आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 18 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस में मुख्य रूप से उल्लेखित किया कि विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि विरासत में रेस्पोंडेन्ट काली के पिता एवं 1/2 हिस्से की भूमि अपीलान्ट मिश्रा के पिता की खातेदारी में आ गई । गेन्द्या के एक पुत्र शम्भू व एक पुत्री रेस्पोंडेन्ट काली थी । रेस्पोंडेन्ट काली के पिता गैन्द्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.90 ग्रम पंचायत खटवा द्वारा रेस्पोंडेन्ट काली को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ओर बिना वारिसान की जॉच किये अकेले शम्भू पुत्र गैंन्द्या के नाम तस्दीक कर दिया जबकि रेस्पोंडेन्ट काली भी गैंद्या की जायन्दा पुत्री होने से विधिक वारिस है ओर प्रथम श्रेणी की

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उत्तराधिकारी है । इसलिये गैंद्या की विरासत का नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट काली के नाम भी खुलना चाहिये था । नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.60 खारिज योग्य होने से अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश द्वारा नामांतरकरण को खारिज करने में कोई गलती नहीं की है ।

रेस्पोंडेन्ट काली के सगे भाई शम्भू की विरासत का नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.93 तहसीलदार लालसोट ने बिना वारिसान की जॉच किये , बिना रेस्पोंडेन्ट को नोटिस दिये , बिना रेस्पोंडेन्ट को सुनवाई और सबूत का अवसर दिये, रेस्पोंडेन्ट की पीठ पीछे अपीलान्ट मिश्रा के नाम तस्दीक कर दिया जो खारिज होने योग्य होने से अति. कलक्टर दौसा ने खारिज करने में कोई गलती नहीं की है । गैंन्द्या ओर शम्भू की एक मात्र वारिस रेस्पोंडेन्ट काली ही थी जिसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एवं बिना वारिसान की विधिवत जॉच किये प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है , जो कानूनन अवैध, अमान्य व प्रभाव शून्य है जिसकी अपील करने के लिये कोई मियाद नहीं होती । रेस्पोंडेन्ट काली को जैसे ही दोनों नामांतरकरणों की जानकारी हुई , धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश करदी थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर दोनों नामांतरकरणों को खारिज करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वैध वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया है , जिसमें कोई गलती नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) आर.आर.टी.. पेज 371 ,1994 (2) आर.बी.जे. पेज 134, आर.आर.डी. 998 पेज 465,आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 947, आर.एल.डब्ल्यू. 2011 (1) आर.जे. पेज 410, आर.आर.डी. 1995 पेज 113 आर.आर.डी. 1991 पेज 440, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 182, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1102, 2012 (1) सिविल कोर्ट केसेज पेज 426, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, 2015 डी.एन.जे. (सुप्रिम कोर्ट) पेज 592 एवं आर.आर.डी. 1996 पेज 425 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार गैंदा पुत्र नानगा की विरासत के नामांतरकरण संख्या 453 जो ग्रम पंचायत खटवा द्वारा गैंदा की पुत्री काली को छोडते हुये शम्भू पुत्र गैंदा के नाम दिनांक 19.6.90 को तस्दीक किये जाने एवं शम्भू पुत्र गैंदा की विरासत के नामांतरकरण संख्या 491 जो शम्भू के पिता गैंदा के भाई बुद्धा के पुत्र मिश्रा अपीलान्ट के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 31.5.1993 को तस्दीक किया गया है जिसमें गैंदा की पुत्री यानी शम्भू की बहिन रेस्पोंडेन्ट काली को छोड दिये जाने के संबंध में है । रेस्पोंडेन्ट काली पुत्री गैंद्या की अपील पर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक के वारिसान के संबंध में जॉच कर नामांतरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था , इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुये अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.1993 एवं नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.1990 वाके ग्रम खटवा तहसील लालसोट निरस्त किये जाकर प्रकरण अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वैद्य वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत प्रकिया अपनाते हुये विवादित भूमि के नामांतरकरण के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि रेस्पोंडेन्ट काली विवादित भूमि के खातेदार गैंदा उर्फ गैन्द्या की पुत्री होने के संबंध में पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है । मृतक खातेदार गैदा उर्फ गैन्द्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.90 ग्रम पंचायत खटवा द्वारा शम्भू पुत्र गैन्दा अकेले के नाम रेस्पों. काली पुत्री गैंदा उर्फ गैन्द्या को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिक नहीं है । शम्भू पुत्र गैंदा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.93 तहसीलदार खण्डला द्वारा अपीलान्ट मिश्रा पुत्र बुद्धा के नाम तस्दीक करने से पूर्व मृतक शम्भू की बहिन काली को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जबकि काली पुत्री गैंदा को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था एवं मृतक के विधिक वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण तस्दीक करने चाहिये थे । ऐसी स्थिति में प्रकरण पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर एवं मृतक के वैध वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट का प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक

21.10.2016 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 31.5.1993 एवं नामांतरकरण संख्या 453 दिनांक 19.6.1990 वाके ग्रम खटवा तहसील लालसोट निरस्त किये जाकर प्रकरण अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वैद्य वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुये विवादित भूमि के नामांतरकरण के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर